

मांग संख्या 23
मुख्य शीर्ष 2701

मद क्रमांक 1

जल संसाधन विभाग के मंडल स्थापना के अंतर्गत अधिकारी/कर्मचारियों के वेतनभत्तों पर अतिरिक्त राशि रूपये 49.55 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 49,55,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

जल संसाधन विभाग के मुख्यालय स्थापना यूनिट-एक के अंतर्गत अधिकारी/कर्मचारियों के वेतनभत्तों पर अतिरिक्त राशि रूपये 16.40 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 16,40,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

जल संसाधन विभाग के संभागीय कार्यालयों के अधिकारी/कर्मचारियों के वेतनभत्तों पर अतिरिक्त राशि रूपये 420.90 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 4,20,90,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4

जल संसाधन विभाग के संभागीय कार्यालयों के अधीन कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियों के वेतनभत्तों पर अतिरिक्त राशि रूपये 697.65 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 6,97,65,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 5

विभाग में वाहनों एवं मशीनों के रखरखाव के लिए अमले का वेतन तथा भत्ते एवं कर्मशाला इत्यादि के भुगतान पर राशि रूपये 350.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 3,50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4700

मद क्रमांक 6

हसदेव बांगो परियोजनांतर्गत डिकीधन (भू-अर्जन हेतु मुआवजा) के भुगतान हेतु रूपये 800.00 लाख का आकस्मिकता निधि अग्रिम स्वीकृत किया गया है।

अतः इसकी प्रतिपूर्ति हेतु रूपये 8,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।